राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3365/2024

डॉ. नितेश कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, ब्लॉकः4, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा स्कूल, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.11.2024
आदेश की दिनांक : 21.11.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महिमा उपाध्याय, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है जो वर्तमान में सहायक आयार्च (प्राणीशास्त्र) के पद पर राजकीय विद्यालय, टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी विकलांगता के आधार पर अपना पदस्थापन जयपुर शहर में करवाना चाहता है। जयपुर में सहायक आचार्य के नये पदों का गठन हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी ने अपने शारीरिक विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण जयपुर शहर में करवाने के लिए दिनांक 14.11.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया।
3. ऐसे में हम पाते है कि अपीलार्थी ने जो अभ्यावेदन दिनांक 14.11.2024 प्रस्तुत किया गया, उसे दिये केवल एक सप्ताह की अवधि हुई है। ऐसे में अपीलार्थी से पदस्थापन के संबंध में सरकार को निर्णय हेतु पर्याप्त समय दिये बिना ही अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आधार पर किया जाता है कि अपीलार्थी ने जो अभ्यावेदन आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर को दिनांक 14.11.2024 को प्रेषित

किया है। उस पर प्रत्यर्थी विभाग राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)